



2026:AHC:42290

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद
रिट - सी संख्या - 7459 सन् 2026

अशोक बहादुर एवं 2 अन्य
याचिकाकर्तागण

...

बनाम

राज्य उत्तर प्रदेश एवं 5 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता

: अतुल कुमार सिंह, चन्द्रिका प्रसाद,
कृष्ण कुमार पटेल

प्रतिवादियों के अधिवक्ता

: आज़ाद राय, (सी.एस.सी.)

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पडिया

1- पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया तथा अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

2- प्रस्तावित आदेश की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए, निजी प्रतिवादी को नोटिस जारी कर इस याचिका को लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। तथापि, यदि निजी प्रतिवादी इस आदेश से स्वयं को आहत अनुभव करता/करती है, तो उसे इस आदेश के संशोधन/परिवर्तन हेतु आवेदन करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

3- वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ताओं द्वारा मुख्यतः यह प्रार्थना की गई है कि प्रतिवादी संख्या-2/उप जिलाधिकारी, तहसील-सोरांव, जनपद-प्रयागराज को वाद संख्या 6718 सन् 2023, कम्प्यूटरीकृत संख्या T202302030306718 (अशोक अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



बहादुर सिंह एवं अन्य बनाम राम कैलाश एवं अन्य), धारा 116, उ०प्र० राजस्व संहिता, 2006 के अंतर्गत, का शीघ्र निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया जाए।

4- उक्त वाद प्रतिवादी संख्या-2 के समक्ष दीर्घकाल से लंबित है तथा पर्याप्त समय व्यतीत हो जाने के उपरांत भी अब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

5- प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, वर्तमान याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या-2/उप जिलाधिकारी, तहसील-सोरांव, जनपद-प्रयागराज उपर्युक्त वाद का विधि के अनुसार निस्तारण करें तथा अनावश्यक स्थगन प्रदान न करें, जब तक कि कोई विधिक बाधा न हो।

6- यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा वाद के गुण-दोष पर कोई विचार/निर्णय नहीं किया गया है।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पडिया)

24 फरवरी, 2026

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।